10. उपर्युक्त मत और उपर्युक्त कथित कारणों को ध्यान में रखते हुए, हम याचियों द्वारा विशेष इजाजत याचिकाओं को फाइल करने में किए गए क्रमश: 7534, 7542 और 7848 दिनों के अत्यधिक विलंब को माफ करने से इनकार करते हैं । तद्नुसार, विलंब की माफी के लिए फाइल आवेदनों को खारिज करते हैं । परिणामत:, परिसीमा अवधि के आधार पर, इन सभी विशेष इजाजत याचिकाओं को खारिज किया जाता है । तथापि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, खर्चे का कोई आदेश नहीं किया जाता है ।

आवेदन/विशेष इजाजत याचिकाएं खारिज की गईं ।

क.

[2020] 1 उम. नि. प. 92

मल्लिकार्जुन और अन्य

बनाम

कर्नाटक राज्य

[2009 की दांडिक अपील सं. 1066]

8 अगस्त, 2019

न्यायमूर्ति आर. बानुमती और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302/34 और 448/34 – हत्या – दोषसिद्धि – घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी-मृतक की माता के साक्ष्य में कुछ विसंगति और विरोधाभास पाया जाना – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट विलंब से दर्ज कराया जाना – जहां घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी एक ग्रामीण और अनपढ़ स्त्री हो तो उसके द्वारा न्यायालय के कठघरे में साक्ष्य देते समय न्यायालय के वातावरण में भयभीत होने के कारण उसके कथन में थोड़ा फेरफार होना स्वाभाविक है और यदि उसका साक्ष्य समग्र रूप से पढ़ने पर अन्यथा विश्वसनीय और भरोसेमंद पाया जाता है

और चिकित्सीय साक्ष्य से उसकी संपुष्टि होती हो और घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए विलंब के लिए समाधानप्रद स्पष्टीकरण दिया गया हो, तो ऐसे साक्ष्य के आधार पर की गई अभियुक्तों की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा ।

अपील के तथ्यों के अनुसार, मृतक-भीमराया लगभग 9.00 बजे पूर्वाह्न में शौच के लिए बाहर गया था । जब वह अपने मकान की ओर वापस आ रहा था, तब अभियुक्त स. 1-मल्लिकार्जुन, अभियुक्त सं. 2-रवि और अभियुक्त सं. 4-बालप्पा (इस अपील में अपीलार्थी) अभियुक्त सं. 3-मारुति (भगौड़ा) के साथ अपने हाथों में आयुध लेकर वहां आए । सभी चारों अभियुक्त उसका पीछे करते हुए यह कहते हुए धमकी दे रहे थे कि वे उसे जान से मारेंगे क्योंकि वह अभियुक्त सं. 4 की पत्नी/अभियुक्त सं. 1 से 3 की माता के साथ अयुक्त संबंध बनाए हुए है । मृतक-भीमराया अपने मकान पर आया, सीधा रसोईघर में गया और दरवाजा बंद कर लिया । कमलाम्मा (अभि. सा. 5), मृतक की माता ने अभियुक्त-व्यक्तियों को उसके पुत्र को न मारने के लिए मनाने की कोशिश की । अभि. सा. 7-हनमंत खेत से आया किंतु अभियुक्त-व्यक्तियों के हाथों में आयुध देखकर वह मकान के अंदर नहीं गया, किंतु उसने घटना को देखा । सभी चारों अभियुक्त रसोईघर के दरवाजे को धक्का देने लगे और फिर मृतक रसोईघर से बाहर आया । अभियुक्त सं. 1-मल्लिकार्जुन ने छुरा से मृतक की नाक और बाईं भौंह पर हमला किया । अभियुक्त सं. 1 ने पुन: मृतक पर छुरा से उसकी छाती, दाईं कोहनी और दाईं जांघ पर क्षतियां कारित कीं । उसके पश्चात् अभियुक्त सं. 3-मारुति ने मृतक को घसीटा और जमीन पर पटक दिया । अभियुक्त सं. 4-बालप्पा ने कुल्हाड़ी के हत्थे से मृतक की पीठ पर हमला किया । अभियुक्त सं. 2-रवि ने मृतका का सिर पकड़ा जबकि अभियुक्त सं. 3 और 4 ने टांगें पकड़ी और अभियुक्त सं. 1 ने छुरा से मृतक की गर्दन काट दी । मृतक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । उसी दिन मृतक की माता द्वारा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई । अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त सं. 1 के बताने पर छुरा तथा घटनास्थल से अन्य आयुध बरामद किए गए । अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् चारों अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 34

के साथ पठित धारा 448 और भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन आरोप पत्र फाइल किया गया । विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के उपरांत यह पाया कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में हुआ विलंब अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं है । विचारण न्यायालय ने अभि. सा. 5-मृतका की माता के साक्ष्य, जिसकी संपुष्टि चिकित्सा साक्ष्य द्वारा हुई थी, का अवलंब लेने के उपरांत और अन्य साक्ष्य पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध किया है और अभियुक्त सं. 1, 2 और 4 (इस अपील में अपीलार्थी) तथा अभियुक्त सं. 3 (भगौड़ा) की भी भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 448 के अधीन दोषसिद्धि की और उनमें से प्रत्येक को छह माह के कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया । उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया और उनमें से प्रत्येक को आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया । अपील में, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों (अभियुक्त सं. 1, 2 और 4) तथा सह-अभियुक्त सं. 3 की दोषसिद्धि और उन पर अधिरोपित कारावास के दंडादेश की भी अभिपुष्टि की । अभियुक्तों द्वारा व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अभियुक्तों में से एक अभियुक्त को दोषमुक्त करके, अपील भागत: मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – निस्संदेह, अभि. सा. 5 के कथन में इस बारे में थोड़ा फेरफार है कि पुलिस द्वारा उसका कथन कब और कैसे अभिलिखित किया गया था । एक स्थान पर अभि. सा. 5 ने यह कहा है कि पुलिस 11.00 बजे पूर्वाह्न में गांव में आई और उसकी शिकायत ली तथा उस पर उसके बाएं हाथ के अंगुठे की छाप ली ; जबकि अभि. सा. 17-पुलिस उप निरीक्षक ने यह कथन किया कि अभि. सा. 5 के पुलिस थाने आने और 1.15 बजे अपराह्न में शिकायत दर्ज करने तक उसे घटना के बारे में जानकारी नहीं थी और उससे पूर्व उसे गांव दलपति से कोई फोन कॉल प्राप्त नहीं हुई थी । जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है, अभि. सा. 5 एक सामान्य गृहणी और अनपढ़ स्त्री है ।

कठघरे में आकर न्यायालय के वातावरण से भयभीत होने के कारण अभि. सा. 5 जैसी साक्षी द्वारा भिन्न-भिन्न बयान देना पूर्णत: स्वाभाविक है । न्यायालयों के लिए देहाती साक्षी के साक्ष्य पर किसी अन्य साक्षी की भांति उसी मानक और सटीकता से विचार करना आवश्यक नहीं है । जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है, घटनास्थल के संबंध में अभि. सा. 5 के साक्ष्य की संपुष्टि अभि. सा. 17-पुलिस उप निरीक्षक द्वारा बनाए गए घटनास्थल पंचनामा (प्रदर्श पी-7) और पाडसाला में ही की गई मृतक के शव की मृत्युसमीक्षा से भी होती है । न्यायालय के मत में, अभि. सा. 5 के कथन में अभिकथित फेरफार से अभि. सा. 5 की विश्वसनीयता प्रभावित नहीं होती है जिससे उसके परिसाक्ष्य पर संदेह किया जा सके । किसी साक्षी के साक्ष्य को मात्र इस कारण अविश्वसनीय नहीं ठहराया जाना चाहिए कि वह पक्षपाती प्रतीत होता है/होती है या मृतक/अभियोजन साक्षी का नातेदार है । यह अभिनिश्चित किया जाना चाहिए कि क्या वहां साक्षी मौजूद था या नहीं और क्या वह सत्य बोल रहा है/रही है या नहीं । घटनास्थल भीमराया का मकान होने के कारण अभि. सा. 5-मृतक की माता घटना के बारे में बताने के लिए एक स्वाभाविक साक्षी है । अभि. सा. 5-मृतक की माता ने यह भी स्पष्ट किया कि वह मकान में कैसे मौजूद थी और वह घटनास्थल पर कैसे आई थी । जैसा कि निचले न्यायालयों द्वारा उल्लेख किया गया है, प्रतिरक्षा पक्ष प्रतिपरीक्षा करने के पश्चात् भी ऐसी कोई बात सिद्ध करने में समर्थ नहीं हो सका था जो अभि. सा. 5 के साक्ष्य के बारे में संदेह उत्पन्न कर सके । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 5 के लिए अभियुक्तों को मिथ्या रूप से फंसाने का कोई कारण नहीं था । मृतक की माता होने के कारण, यह अत्यधिक अनधिसंभाव्य है कि अभि. सा. 5 ने पुलिस या किसी अन्य व्यक्ति की प्रेरणा पर अभियुक्तों को मिथ्या रूप से फंसाया होगा । (पैरा 15 और 16)

अभियुक्त सं. 1 के प्रकटन कथन के आधार पर तात्विक वस्तु-छुरा, जो अभियुक्त सं. 1 के मकान के पीछे पशुशाला के उपरिकोष्ठ में चारे के ढेर में छिपाया हुआ था, पंच साक्षियों अभि. सा. 8-चंद्रप्पा और अभि. सा. 9-महादेवप्पा नीडगेरा की मौजूदगी में प्रदर्श पी-9-पंचनामा के अधीन अभिगृहीत किया गया था । उक्त पंच साक्षियों ने अभियोजन के

पक्षकथन का समर्थन नहीं किया और पक्षद्रोही हो गए । तात्विक वस्तु-2-छुरा और तात्विक वस्तु-3-कुल्हाड़ी का हत्था प्रदर्श पी-7-घटनास्थल पंचनामा के अधीन घटनास्थल से बरामद किए गए थे । अभियुक्तों की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह दलील दी कि अभियुक्त सं. 1 के बताने पर तात्विक वस्तु-1-छुरे की बरामदगी के बारे में अभि. सा. 17-पुलिस उप निरीक्षक का साक्ष्य संदेहास्पद है और जब अभि. सा. 8 और 9 पक्षद्रोही हो गए हैं, तब तात्विक वस्तु-1-छुरे की अभिकथित बरामदगी को कोई महत्व नहीं दिया जा सकता था । इस दलील में कोई सार नहीं है कि केवल पंच साक्षियों के पक्षद्रोही होने के कारण आयुध की बरामदगी दूषित हो जाती है । यह भलीभांति सुस्थिर है कि अन्वेषक अधिकारी के साक्ष्य का तब भी बरामदगी साबित करने के लिए अवलंब लिया जा सकता है जब पंच साक्षी पक्षद्रोही हो गए हों । अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 5 और अभि. सा. 7 के साक्ष्य से अभियुक्त सं. 1 और 2 के स्पष्ट कृत्य को साबित किया है और इसकी संपुष्टि उनके कृत्यों के कारण पहुंची क्षतियों से, जैसा कि अभि. सा. 12-डा. एच. आर. कुमार द्वारा कथन किया गया है, होती है । यह उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त सं. 4 उस समय बालीचक्र में अध्यापक के रूप में कार्यरत था और उसने कथित रूप से मृतक की पीठ पर कुल्हाड़ी के लकड़ी के हत्थे (तात्विक वस्तु-3) से हमला किया था । मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श पी-11) का परिशीलन करने पर, अभियुक्त सं. 4 के अभिकथित स्पष्ट कृत्य की तत्संबंधी कोई क्षति नहीं है । जैसा कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से दर्शित होता है, शिकायत में अभि. सा. 5 ने यह कहा है कि इस अभियुक्त ने हमला करने के समय यह कहा था कि "इस जार के हमारी माता के साथ अयुक्त संबंध हैं ।" प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लिखित उपरोक्त शब्दों से प्रथमदृष्ट्या केवल अभियुक्त सं. 1 और 2 तथा भगौड़े अभियुक्त सं. 3 की मौजूदगी उपदर्शित होती है जिन्होंने मृतक पर हमला किया था । अभियुक्त सं. 4 की मौजूदगी के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न होता है और अभियुक्त सं. 4 को संदेह का फायदा दिया जाना चाहिए और अभियुक्त सं. 4 की दोषसिद्धि को संधार्य नहीं रखा जा सकता है। अभियुक्त सं. 1-मल्लिकार्जुन और अभियुक्त सं. 2-रवि की दोषसिद्धि साक्ष्य के उचित मूल्यांकन पर आधारित है और विवेचन पूरी

तरह संतुलित है और न्यायालय उनकी दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाता है । (पैरा 23 और 25)

अवलंबित निर्णय

		पैरा
[2013]	(2013) 12 एस. सी. सी. 187 : **बख्शीश सिंह** बनाम **पंजाब राज्य और एक अन्य** ;	14
[2011]	(2011) 11 एस. सी. सी. 111 : **रमेशभाई मोहनभाई कोली** बनाम **गुजरात राज्य और अन्य** ।	23

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2009 की दांडिक अपील सं. 1066.

2005 की दांडिक अपील सं. 124 में कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलोर के तारीख 30 मई, 2008 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से	सर्वश्री किरन सूरी, ज्येष्ठ अधिवक्ता, एस. जे. अमित, ऐश्वर्य कुमार और डा. (श्रीमती) विपिन गुप्ता
प्रत्यर्थी की ओर से	सर्वश्री जोसफ अरिस्टोटल एस., (श्रीमती) प्रिया अरिस्टोटल, ऋजुक सरकार और (श्रीमती) फराह हाशमी

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आर. बानुमती ने दिया ।

न्या. बानुमती – यह अपील 2005 की दांडिक अपील सं. 124 में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 30 मई, 2008 को पारित किए गए उस निर्णय से उद्भूत हुई है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-अभियुक्त सं. 1, 2 और 4 की भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि और उनमें से प्रत्येक पर अधिरोपित आजीवन कारावास के दंडादेश की अभिपुष्टि की है । उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 448

के अधीन उनकी दोषसिद्धि और उनमें से प्रत्येक पर अधिरोपित कारावास के दंडादेश की भी अभिपुष्टि की है ।

2. अपीलार्थी-अभियुक्त सं. 1-मल्लिकार्जुन, अभियुक्त सं. 2-रवि और सह-अभियुक्त सं. 3-मारुति (भगौड़ा) अभियुक्त सं. 4-बालप्पा के पुत्र हैं । यह अभिकथित है कि मृतक भीमराया के घटना के 4-5 वर्ष पूर्व से अभियुक्त सं.4-बालप्पा की पत्नी-भीमव्वा के साथ अयुक्त संबंध थे और इसलिए सभी अभियुक्तों की कथित रूप से मृतक भीमराया से दुश्मनी थी । अभि. सा. 5-कमलाम्मा मृतक की माता है । अभियोजन का यह पक्षकथन है कि तारीख 14 जून, 2002 को मृतक का पिता-अभि. सा. 6-मारेप्पा विवाह में सम्मिलित होने के लिए गांव कौलूर गया था । अभि. सा. 7-हनमंत-मृतक का भाई सवेरे-सवेरे खेत में जुताई करने के लिए गया था । मृतक-भीमराया लगभग 9.00 बजे पूर्वाह्न में शौच के लिए बाहर गया था । जब वह अपने मकान की ओर वापस आ रहा था, तब अभियुक्त सं. 1-मल्लिकार्जुन, अभियुक्त सं. 2-रवि और अभियुक्त सं. 4-बालप्पा (इस अपील में अपीलार्थी) अभियुक्त सं. 3-मारुति (भगौड़ा) के साथ अपने हाथों में आयुध लेकर वहां आए । सभी चारों अभियुक्त उसका पीछे करते हुए यह कहते हुए धमकी दे रहे थे कि वे उसे जान से मारेंगे क्योंकि वह अभियुक्त सं. 4 की पत्नी/अभियुक्त सं. 1 से 3 की माता के साथ अयुक्त संबंध बनाए हुए है । मृतक-भीमराया अपने मकान पर आया, सीधा रसोईघर में गया और दरवाजा बंद कर लिया । कमलाम्मा (अभि. सा. 5), मृतक की माता ने अभियुक्त-व्यक्तियों को उसके पुत्र को न मारने के लिए मनाने की कोशिश की । अभि. सा. 7-हनमंत खेत से आया किंतु अभियुक्त-व्यक्तियों के हाथों में आयुध देखकर वह मकान के अंदर नहीं गया, किंतु उसने घटना को देखा । सभी चारों अभियुक्त रसोईघर के दरवाजे को धक्का देने लगे और फिर मृतक रसोईघर से बाहर आया । यह अभिकथित है कि अभियुक्त सं. 4-बालप्पा ने अन्य अभियुक्तों को यह कहते हुए मृतक को जान से मारने के लिए उकसाया कि वह जीवित नहीं बचना चाहिए क्योंकि उसके 4-5 वर्षों से उसकी पत्नी के साथ संबंध रहे हैं और दोनों उनके परिवार की छवि को धूमिल कर रहे हैं ।

अभियुक्त सं. 1-मल्लिकार्जुन ने छुरा (तात्विक वस्तु-2) से मृतक की नाक और बाईं भौंह पर हमला किया । अभियुक्त सं. 1 ने पुन: मृतक पर छुरा (तात्विक वस्तु-2) से उसकी छाती, दाईं कोहनी और दाईं जांघ पर क्षतियां कारित कीं । उसके पश्चात् अभियुक्त सं. 3-मारुति ने मृतक को घसीटा और जमीन पर पटक दिया । अभियुक्त सं. 4-बालप्पा ने कुल्हाड़ी (तात्विक वस्तु-3) के हत्थे से मृतक की पीठ पर हमला किया । अभियुक्त सं. 2-रवि ने मृतका का सिर पकड़ा जबकि अभियुक्त सं. 3 और 4 ने टांगें पकड़ी और अभियुक्त सं. 1 ने छुरा (तात्विक वस्तु-1) से मृतक की गर्दन काट दी । अभि. सा. 5-मृतक की माता ने सहायता के लिए शोर मचाया । अभि. सा. 1 से 4 और अभि. सा. 7 तथा अन्य घटनास्थल के निकट आए और उन्हें देखकर सभी अभियुक्त एक छुरा (तात्विक वस्तु-2) और कुल्हाड़ी का हत्था (तात्विक वस्तु-3) घटनास्थल पर छोड़ कर वहां से भाग गए ।

3. उसी दिन 1.15 बजे अपराह्न में अभि. सा. 5-कमलाप्पा, मृतक की माता ने सैदापुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की जिसे अभि. सा. 17-पुलिस उप निरीक्षक एस. वाई. हंशीकट्टी द्वारा लेखबद्ध किया गया और उसके आधार पर सैदापुर पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 448, 504 और 302 के अधीन 2002 के अपराध मामला सं. 44 में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई । अभि. सा. 17-पुलिस उप निरीक्षक घटनास्थल पर गया और अभि. सा. 8-चन्द्रप्पा और अभि. सा. 9-महादेवप्पा नीडगेरा की मौजूदगी में मृत्युसमीक्षा (प्रदर्श पी-6) की और अन्वेषण का आरंभिक भाग अर्थात् घटनास्थल का पंचनामा (प्रदर्श पी-7) तैयार करने का काम किया । घटनास्थल से रक्तरंजित छुरा (तात्विक वस्तु-2), रक्तरंजित कुल्हाड़ी का हत्था (तात्विक वस्तु-3), रक्तरंजित मिट्टी (तात्विक वस्तु-10) और सादा मिट्टी (तात्विक वस्तु-11) बरामद किए गए । अभि. सा. 12-डा. एच. आर. कुमार ने तारीख 14 जून, 2002 को 4.15 बजे अपराह्न में मृतक भीमराया केशव की मरणोत्तर परीक्षा (प्रदर्श पी-11) की और यह राय व्यक्त की कि महत्वपूर्ण अंग अर्थात् गर्दन पर क्षति पहुंचने के कारण सदमे और रक्तस्राव की वजह से मृत्यु हुई थी । अभि. सा. 12-डाक्टर

ने यह भी राय व्यक्त की कि क्षति चाकू से कारित की जा सकती थी ।

4. तारीख 15 जून, 2002 को लगभग 11.00 बजे पूर्वाह्न में अभियुक्त सं. 1 से 3 को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त सं. 1 के संस्वीकृति कथन के आधार पर उसके मकान की पशुशाला के उपरिकोष्ठ में चारे के ढेर में छिपाए गए छुरे (तात्विक वस्तु-1) की बरामदगी की गई । अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात्, चारों अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 448 और भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन आरोप पत्र फाइल किया गया ।

5. अभियोजन पक्ष ने विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्तों की दोषिता को साबित करने के लिए अभि. सा. 1 से 17 की परीक्षा की और कई सारे दस्तावेज चिह्नित किए तथा तात्विक वस्तुएं भी चिह्नित कीं । विचारण न्यायालय ने अभियुक्त सं. 4, जो बालीचक्र गांव में अध्यापक के रूप में कार्यरत था, द्वारा प्रस्तुत किए गए अन्यत्र उपस्थित होने के प्रतिरक्षा के अभिवाक् को नामंजूर कर दिया । विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के उपरांत यह पाया कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में हुआ विलंब अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं है । विचारण न्यायालय ने अभि. सा. 5-मृतका की माता के साक्ष्य, जिसकी संपुष्टि चिकित्सा साक्ष्य द्वारा हुई है, का अवलंब लेने के उपरांत और अन्य साक्ष्य पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध किया है और अभियुक्त सं. 1, 2 और 4 (इस अपील में अपीलार्थी) तथा अभियुक्त सं. 3 (भगौड़ा) की भी भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 448 के अधीन दोषसिद्धि की और उनमें से प्रत्येक को छह माह का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया । उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया और उनमें से प्रत्येक को आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया । अपील में, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों (अभियुक्त सं. 1, 2 और 4) तथा सह-अभियुक्त सं. 3 की दोषसिद्धि और उन पर अधिरोपित कारावास के

दंडादेश की भी अभिपुष्टि की ।

6. अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल सुश्री किरन सूरी ने यह दलील दी कि घटना 9.00 बजे पूर्वाह्न में घटी थी जबकि शिकायत 1.15 बजे अपराह्न में दर्ज की गई थी और मजिस्ट्रेट को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट 8.00 बजे अपराह्न में प्राप्त हुई थी और मजिस्ट्रेट को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्राप्त होने में अत्यधिक विलंब हुआ है और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने में हुए विलंब के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । यह दलील दी कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण में हुए अत्यधिक विलंब और न्यायालय में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्राप्त होने में हुए विलंब से अभियोजन के पक्षकथन के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न होता है और अभियुक्तों को मिथ्या रूप से फंसाए जाने की पूरी संभावना है और इस पहलू पर विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से विचार नहीं किया गया है । यह भी दलील दी गई कि अभि. सा. 5-कमलाम्मा-मृतक की माता का साक्ष्य विसंगतियों से ग्रस्त है जो अभि. सा. 5 की विश्वसनीयता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है और अभि. सा. 5 के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है । विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने अभियुक्त सं. 1 से छुरे (तात्विक वस्तु-1) और घटनास्थल से अन्य तात्विक वस्तुओं की अभिकथित बरामदगी को प्रश्नगत किया और यह दलील दी कि निचले न्यायालयों ने साक्ष्य का उचित मूल्यांकन किए बिना अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करके गलती की है ।

7. कर्नाटक राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री जोसफ अरिस्टोटल ने यह दलील दी कि दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 5-कमलाम्मा-मृतक की माता और अभि. सा. 7-हनमंत के साक्ष्य में कोई विसंगति नहीं है और उनके साक्ष्य की चिकित्सा साक्ष्य से भलीभांति संपुष्टि हुई है । यह दलील दी गई कि निचले न्यायालयों ने अभि. सा. 5 और अभि. सा. 7 के साक्ष्य का मूल्यांकन करने के उपरांत ठीक ही यह अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थियों ने मृतक की हत्या की है । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि अन्वेषक

अधिकारियों अर्थात् अभि. सा. 16-दत्तप्पा और अभि. सा. 17-पुलिस उप निरीक्षक एस. वाई. हंशीकट्टी के साक्ष्य और अभियुक्त सं. 1 से छुरे (तात्विक वस्तु-1) तथा घटनास्थल से तात्विक वस्तु 2 और 3 के अभिग्रहण के संबंध में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से पर्याप्त रूप से अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन होता है और विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी-अभियुक्त सं. 1, 2 और 4 तथा भगौड़े अभियुक्त सं. 3 की ठीक ही दोषसिद्धि की है और उच्च न्यायालय ने उसकी ठीक ही अभिपुष्टि की है तथा आक्षेपित निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

8. हमने अपीलार्थी-अभियुक्तों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल और कर्नाटक राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल को सुना और दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया तथा आक्षेपित निर्णय और अभिलेख पर साक्ष्य और सामग्री का परिशीलन किया ।

9. कथित रूप से स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों अभि. सा. 1 से 4 ने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया और पक्षद्रोही हो गए । तारीख 14 जून, 2002 अर्थात् घटना की तारीख को सवेरे अभि. सा. 6-मारेप्पा-मृतक का पिता एक विवाह में सम्मिलित होने के लिए कौलूर गांव गया था । अभि. सा. 7-हनमंत-मृतक का भाई सवेरे जुताई करने के लिए खेत में गया हुआ था । अभि. सा. 5-मृतक की माता भीमराया प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है और अभि. सा. 7, जो भोजन करने के लिए खेत से वापस आया था, ने भी यह कथन किया कि उसने घटना देखी थी ।

10. अभि. सा. 5-मृतक की माता ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया कि तारीख 14 जून, 2002 को 9.00 बजे पूर्वाह्न में मृतक भीमराया शौच के लिए बाहर गया था और जब वह मकान पर वापस आ रहा था, तब अभियुक्त सं. 1 ने छुरा (तात्विक वस्तु-1) लिए हुए और अभियुक्त सं. 4 ने कुल्हाड़ी का हत्था (तात्विक वस्तु-3) लिए हुए मृतक का पीछा किया और मृतक रसोईघर के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर लिया । अभि. सा. 5 ने यह कथन किया कि उसने अभियुक्तों से

दया की याचना की और भीमराया के साथ कुछ न करने के लिए कहा । तथापि, अभियुक्तों ने रसोईघर के दरवाजे को धक्का दिया और भीमराया बाहर बरामदे में आया और उस समय अभियुक्त सं. 1 ने छुरे (तात्विक वस्तु-1) से मृतक पर उसकी बाईं तरफ कमर पर हमला किया और अभियुक्त सं. 2 ने छुरे (तात्विक वस्तु-2) से नाक और बाईं भौंह पर प्रहार किया । अभियुक्त सं. 1 ने पुन: मृतक की दाईं कोहनी पर छुरा घोंपा । यह अभिकथित है कि अभियुक्त सं. 2 से 4 ने भीमराया की टांगें और हाथ पकड़े और अभियुक्त सं. 1 ने भीमराया की गर्दन पर छुरे से काटने का घाव कारित किया और भीमराया की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । अभि. सा. 7-मृतक का भाई, जो भोजन करने के लिए खेत से वापस आया था, ने भी घटना देखी थी और अभियुक्तों के स्पष्ट कृत्यों के बारे में कथन किया था । हेतु मृतक के अभियुक्त सं. 1 से 3 की माता और अभियुक्त 4 की पत्नी के साथ अयुक्त संबंध होना बताया गया है । यह अभिकथित है कि मृतक अभियुक्त सं. 4 के मकान पर जाता रहता था और अभियुक्त सं. 4 की पत्नी मृतक के मकान पर आती रहती थी ।

11. अभि. सा. 5 के साक्ष्य को इस आधार पर प्रश्नगत किया गया है कि उसका साक्ष्य इन विसंगतियों और विरोधाभासों से ग्रस्त है कि उसका साक्ष्य कैसे और कब अभिलिखित किया गया था और अभि. सा. 7 कब मकान पर वापस आया था । अभि. सा. 5 ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया कि सैदापुर पुलिस घटनास्थल पर आई थी और उसका कथन अभिलिखित किया था । अभि. सा. 5 ने यह भी कथन किया कि पुलिस उसे पुलिस थाने ले गई थी और पुलिस थाने में उसका कथन अभिलिखित किया था । अभि. सा. 5 ने अपने कथन में एक समय पर यह कहा "कि गांव दलपति ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस 11.00 बजे पूर्वाह्न में आई और उसका कथन अभिलिखित किया तथा उसके बाएं हाथ के अंगुठे की छाप ली ....।" एक दूसरे बयान में अभि. सा. 5 ने यह कथन किया कि वह उसके पति (अभि. सा. 6) के गांव कौलूर से घर वापस आने तक घर पर ही थी और उसके पश्चात् वह अभि. सा. 6 के साथ पुलिस थाने गई । विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने

यह दलील दी कि अभि. सा. 5 एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हो सकती है क्योंकि उसका साक्ष्य विभिन्न विसंगतियों से ग्रस्त है । अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह दलील दी कि पुलिस द्वारा अभि. सा. 5 का कथन कैसे और कब अभिलिखित किया गया था, इस बारे में उसके विरोधाभासी बयान प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण में हुए विलंब और न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट भेजने में हुए विलंब को ध्यान में रखते हुए सुसंगत हो जाते हैं और इसी बात से ही अभियुक्तों को मिथ्या रूप से फंसाए जाने का प्रतिरक्षा का अभिवाक् मजबूत हो जाता है ।

12. विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में अभि. सा. 5 की सुसंगत समय पर मकान में, जहां घटना घटी थी, मौजूदगी और अभि. सा. 5 कैसे एक स्वाभाविक साक्षी है, के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की है । विचारण न्यायालय ने, जिसके पास अभि. सा. 5 को, जब वह कठघरे में थी, देखने और अवलोकन करने का अवसर था, यह मत व्यक्त किया है कि अभि. सा. 5 ने घटना का सुस्पष्ट चित्रण किया है और उसका साक्ष्य विश्वसनीय है । विचारण न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया है कि अभि. सा. 5 एक अनपढ़ स्त्री होने के कारण पुलिस द्वारा कब और कैसे उसका कथन अभिलिखित किया गया था, इस बारे में उसके भिन्न-भिन्न कथनों को उसके परिसाक्ष्य पर संदेह करने के लिए आधार नहीं माना जा सकता है और इस निष्कर्ष की अभिपुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई है । हम एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं पाते हैं ।

13. किसी साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय दृष्टिकोण अवश्य यह निर्धारण करने का होना चाहिए कि क्या किसी साक्षी का साक्ष्य समग्र रूप से पढ़ने पर सच्चा प्रतीत होता है या नहीं । जब एक बार यह विचार बन जाता है, तो न्यायालय के लिए साक्ष्य और अभिकथित विसंगतियों का यह पता लगाने के लिए मूल्यांकन करना आवश्यक है कि क्या यह अभियोजन के पक्षकथन के साधारण अनुक्रम के विरुद्ध तो नहीं है । यदि यह पाया जाता है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का

साक्ष्य विश्वसनीय और भरोसेमंद है, तो छुट-पुट विसंगतियां, जो अभियोजन के पक्षकथन के सारभाग को प्रभावित नहीं करती हैं, साक्षी की विश्वसनीयता पर संदेह करने का आधार नहीं बन सकती हैं ।

14. **बख्शीश सिंह** बनाम **पंजाब राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले में यह मत व्यक्त करते हुए कि छुट-पुट विसंगतियों और असंगत बयान से, यदि यह अन्यथा विश्वसनीय पाया जाता है, अभियोजन का पक्षकथन आवश्यक रूप से नष्ट नहीं हो जाता है, निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया :-

> "32. सुनील कुमार शम्भूदयाल गुप्ता **बनाम** महाराष्ट्र राज्य [(2013) 13 एस. सी. सी. 65] वाले मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया था –
>
> > '30. साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या विरोधाभासों/लोपों का महत्व ऐसा है कि उनसे विचारण पर सारभूत रूप से प्रभाव पड़ सकता है । तुच्छ बातों को लेकर छुट-पुट विरोधाभासों, विसंगतियों, अतिरंजनाओं या सुधारों को, यदि उनसे अभियोजन के पक्षकथन का सारभाग प्रभावित नहीं होता है, संपूर्ण साक्ष्य को नामंजूर करने का आधार नहीं बनाना चाहिए । विचारण न्यायालय को, संपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् साक्षियों की विश्वसनीयता के बारे में अवश्य एक राय बनानी चाहिए और उचित कारणों के बिना अपील न्यायालय के लिए उसका पुनर्विलोकन करना न्यायोचित नहीं होगा । [राज्य **बनाम** स्वर्णन (2008) 17 एस. सी. सी. 587 वाला मामला देखें ।]'
>
> 33. .....राज कुमार सिंह **बनाम** राजस्थान राज्य [(2003) 5 एस. सी. सी. 722] वाले मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया है –

---

[1] (2013) 12 एस. सी. सी. 187.

'..... यह एक स्थिर विधिक प्रतिपादना है कि न्यायालय को किसी साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय तुच्छ बातों को लेकर छुट-पुट विसंगतियों, जो अभियोजन के पक्षकथन के सारभाग को प्रभावित नहीं करती हैं, उस प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को समग्रत: नामंजूर करने के लिए प्रेरित नहीं होना चाहिए । ऐसे असंगत ब्यौरों को, जिनसे किसी साक्षी की विश्वसनीयता किसी प्रकार से नष्ट नहीं होती है, लोपों या विरोधाभासों के रूप में अंकित नहीं किया जा सकता है । इसलिए न्यायालयों को साक्ष्य का मूल्यांकन करने की अपनी कवायद में अवश्य सचेत और अत्यंत सावधान रहना चाहिए । अपनाया जाने वाला दृष्टिकोण यह है, यदि किसी साक्षी का साक्ष्य समग्र रूप में पढा जाए और उसमें सच्चाई प्रतीत होती है, तब न्यायालय के लिए साक्ष्य की अति विशिष्ट रूप से उक्त साक्ष्य में बताई गई संपूर्ण कमियों, त्रुटियों और खामियों को ध्यान में रखते हुए संवीक्षा करना और यह अवधारण करने के लिए उनका अलग से मूल्यांकन करना आवश्यक हो सकता है कि क्या कमियां, त्रुटियां और खामियां साक्षियों द्वारा दिए गए साक्ष्य की प्रकृति के विरुद्ध हैं और क्या ऐसे मूल्यांकन के फलस्वरूप ऐसे साक्ष्य की विधिमान्यता डगमगाती है जिससे यह अविश्वसनीय हो जाता है ।'"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

15. निस्संदेह, अभि. सा. 5 के कथन में इस बारे में थोड़ा फेरफार है कि पुलिस द्वारा उसका कथन कब और कैसे अभिलिखित किया गया था । एक स्थान पर अभि. सा. 5 ने यह कहा है कि पुलिस 11.00 बजे पूर्वाह्न में गांव में आई और उसकी शिकायत ली तथा उस पर उसके बाएं हाथ के अंगुठे की छाप ली; जबकि अभि. सा. 17-पुलिस उप निरीक्षक ने यह कथन किया कि अभि. सा. 5 के पुलिस थाने आने और 1.15 बजे अपराह्न में शिकायत दर्ज करने तक उसे घटना के बारे में जानकारी नहीं थी और उससे पूर्व उसे गांव दलपति से कोई फोन कॉल

प्राप्त नहीं हुई थी । जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है, अभि. सा. 5 एक सामान्य गृहणी और अनपढ़ स्त्री है । कठघरे में आकर न्यायालय के वातावरण से भयभीत होने के कारण अभि. सा. 5 जैसी साक्षी द्वारा भिन्न-भिन्न बयान देना पूर्णत: स्वाभाविक है । न्यायालयों के लिए देहाती साक्षी के साक्ष्य पर किसी अन्य साक्षी की भांति उसी मानक और सटीकता से विचार करना आवश्यक नहीं है । जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है, घटनास्थल के संबंध में अभि. सा. 5 के साक्ष्य की संपुष्टि अभि. सा. 17-पुलिस उप निरीक्षक द्वारा बनाए गए घटनास्थल पंचनामा (प्रदर्श पी-7) और पाडसाला में ही की गई मृतक के शव की मृत्युसमीक्षा से भी होती है । हमारे मत में, अभि. सा. 5 के कथन में अभिकथित फेरफार से अभि. सा. 5 की विश्वसनीयता प्रभावित नहीं होती है जिससे उसके परिसाक्ष्य पर संदेह किया जा सके ।

16. किसी साक्षी के साक्ष्य को मात्र इस कारण अवश्विसनीय नहीं ठहराया जाना चाहिए कि वह पक्षपाती प्रतीत होता है/होती है या मृतक/अभियोजन साक्षी का नातेदार है । यह अभिनिश्चित किया जाना चाहिए कि क्या वहां साक्षी मौजूद था या नहीं और क्या वह सत्य बोल रहा है/रही है या नहीं । घटनास्थल भीमराया का मकान होने के कारण अभि. सा. 5-मृतक की माता घटना के बारे में बताने के लिए एक स्वाभाविक साक्षी है । अभि. सा. 5-मृतक की माता ने यह भी स्पष्ट किया कि वह मकान में कैसे मौजूद थी और वह घटनास्थल पर कैसे आई थी । जैसा कि निचले न्यायालयों द्वारा उल्लेख किया गया है, प्रतिरक्षा पक्ष प्रतिपरीक्षा करने के पश्चात् भी ऐसी कोई बात सिद्ध करने में समर्थ नहीं हो सका था जो अभि. सा. 5 के साक्ष्य के बारे में संदेह उत्पन्न कर सके । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 5 के लिए अभियुक्तों को मिथ्या रूप से फंसाने का कोई कारण नहीं था । मृतक की माता होने के कारण, यह अत्यधिक अनधिसंभाव्य है कि अभि. सा. 5 ने पुलिस या किसी अन्य व्यक्ति की प्रेरणा पर अभियुक्तों को मिथ्या रूप से फंसाया होगा ।

17. अभि. सा. 7 ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया कि वह

जुताई करने के लिए खेत गया था और पहले की तरह भोजन करने के लिए 8.30 बजे पूर्वाह्न में अपने मकान पर आया था । अभि. सा. 7 ने सभी अभियुक्तों के स्पष्ट कृत्यों के बारे में कथन किया है और इस प्रकार उसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होना उल्लिखित किया गया है और हमारे मत में, यह दलील स्वीकार करने योग्य नहीं है । अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह दलील दी कि विचारण न्ययालय ने अभि. सा. 7 को एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में नहीं माना था । अभि. सा. 5 से यह प्रकट हुआ था कि वह भूमि जहां अभि. सा. 7 जुताई करने के लिए गया था, काफी दूर है और वह उस भूमि से शोर नहीं सुन सकता था । इसी संदर्भ में, विचारण न्यायालय इस आधार पर अग्रसर हुआ कि यदि दलील के लिए यह मान लिया जाए कि अभि. सा. 7 में एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने की विशेषताएं नहीं हैं, फिर भी अपराध कारित करने के स्थान अर्थात् उनके मकान की पाडसाला में और भीमराया के शरीर पर पाई गईं क्षतियों की सीमा तक उसके साक्ष्य पर विचार किया जा सकता है । इस प्रकार विचारण न्यायालय ने अभि. सा. 7 पर प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हाने के रूप में विचार किया । विचारण न्यायालय ने अपनी तर्कणाओं को इस आनुकल्पिक आधार के अधीन अभिलिखित किया कि यदि मान लिया जाए कि अभि. सा. 7 पर एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में विचार न भी किया जाए, तो भी उसके साक्ष्य से अभियोजन के पक्षकथन का घटनास्थल और क्षतियों की प्रकृति तथा मृतक भीमराया को पहुंची क्षतियों की सीमा तक समर्थन होता है ।

18. अभि. सा. 12-डा. एच. आर. कुमार, जिन्होंने शव-परीक्षा की थी, मृतक भीमराया के शव पर निम्नलिखित क्षतियां पाई थीं :–

(i) गर्दन पर इसके अग्रभाग में, दाईं स्टर्नोमस्टायड मांसपेशी के पार्श्विक सिरे से इसके बाईं ओर तक फैला हुआ 10×3 सें. मी. आकार का मृत्यु-पूर्व का छुरा घोंपने का घाव मौजूद । गर्दन की बृहत् वाहिकाएं और श्वासनली कटी हुई थी ।

(ii) नाक की मूल पर 1×1 सें. मी. आकार का कटने का विदीर्ण घाव मौजूद ।

(iii) बाईं भौंह पर कटने का विदीर्ण घाव मौजूद ।

(iv) छाती पर बाईं तरफ हंसली के मध्य भाग से 10 इंच नीचे अग्र भाग पर 4×2 सें. मी. आकार का चीरा हुआ घाव ।

(v) दाईं भौंह पर 2×1 सें. मी. आकार का चीरा हुआ घाव ।

(vi) कमर के बाएं क्षेत्र में परवर्ती भाग पर 4×2 सें. मी. आकार का छुरा घोंपने का घाव, आंतों की कुंडलिया दिखाई दे रही थी ।

(vii) दाईं जांघ पर अग्र भाग पर 2×1 सें. मी. आकार का चीरा हुआ घाव ।

प्रदर्श पी-11 मरणोत्तर परीक्षा प्रमाणपत्र में क्षति सं. 1 से यह दर्शित होता है कि यह गर्दन की बृहत् वाहिका और श्वासनली को काटता हुआ छुरे का घाव है । अभि. सा. 12-डाक्टर की यह राय थी कि मृत्यु गर्दन की महत्वपूर्ण संरचनाओं अर्थात् बृहत् वाहिका और श्वासनली को पहुंची क्षति के परिणामस्वरूप हुए रक्तस्राव और सदमे के कारण हुई थी । तात्विक वस्तु-1 छुरा 2 फुट 6 इंच लंबा है और इसका ब्लेड 1-1/2 इंच चौड़ा है । तात्विक वस्तु-1 छुरे और क्षति सं. 1 की प्रकृति को देखते हुए अभि. सा. 12-डाक्टर ने यह राय व्यक्त की है कि "..... प्रदर्श पी-11 में की बाह्य क्षति सं. 1 तात्विक वस्तु-1 या तात्विक वस्तु-2 का प्रयोग करके कारित करनी संभव नहीं है .....।" अभि. सा. 12-डाक्टर ने यह भी उल्लेख किया है कि यदि किसी व्यक्ति पर तात्विक वस्तु-1 छुरे से उसके गले पर दो या तीन बार हमला किया जाए तो मृत्यु होना संभव है ।

19. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह दलील दी कि अभि. सा. 12-डाक्टर के सैद्धांतिक साक्ष्य से अभि. सा. 5 के मौखिक साक्ष्य की उस रीति के बारे में जिसमें तात्विक वस्तु-1 छुरे से मृतक को क्षति कारित की गई थी, संपुष्टि नहीं होती है । अभि. सा. 12-डाक्टर ने अपने साक्ष्य में यह भी उल्लेख किया है "प्रदर्श पी-11 में की क्षति सं. 1 के विवरण को देखने से यह अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि यह क्षति तात्विक वस्तु-1 छुरे को कई बार घुमाकर

प्रयोग करके कारित की जा सकती है ।" अभि. सा.12-डाक्टर की बार-बार उस रीति के बारे में प्रतिपरीक्षा की गई थी जिस रीति में तात्विक वस्तु-छुरे का प्रयोग करके क्षति सं. 1 कारित की जा सकती थी और अभि. सा. 5 के साक्ष्य को अभि. सा. 12-डाक्टर से निकलवाए गए उत्तरों के आधार पर प्रश्नगत किए जाने की ईप्सा की गई ।

20. विशेषज्ञ तथ्य का साक्षी नहीं होता है । डाक्टर का सैद्धांतिक साक्ष्य प्राथमिक तौर पर एक राय संबंधी साक्ष्य होता है न कि तथ्य का । यह उस संभावना के बारे में केवल एक संपुष्टिकारी साक्ष्य होता है कि क्षतियां अभियोजन पक्ष द्वारा अभिकथित रीति में कारित की जा सकती थी । जब तक चिकित्सीय साक्ष्य में अभियोजन के वृत्तांत में अभिकथित रीति में क्षति कारित करने की ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया गया हो, तब तक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के परिसाक्ष्य पर चिकित्सीय साक्ष्य के साथ इसकी असंगतता होने के आधार पर संदेह नहीं किया जा सकता है । यद्यपि एक स्थान पर अभि. सा. 12-डाक्टर ने यह कथन किया है कि क्षति सं. 1 तात्विक वस्तु-1 छुरे से कारित नहीं की जा सकती है, किंतु आगे प्रश्न करने पर उसने यह कथन किया कि क्षति सं. 1 तात्विक वस्तु-1 द्वारा या तो गले पर दो या तीन बार हमला करके कारित की जा सकती थी या गले पर क्षति कारित करके और फिर आयुध को घुमाकर कारित की जा सकती थी । अभि. सा. 12-डाक्टर के साक्ष्य पर विचार करते हुए, चिकित्सीय साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य के बीच अभिकथित फेरफार होने के बारे में दी गई दलील में कोई सार नहीं है ।

21. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने फिर यह दलील दी कि घटना 9.00 बजे पूर्वाह्न में घटी थी जबकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट केवल 1.15 बजे अपराह्न में रजिस्ट्रीकृत की गई थी और लगभग चार घंटे के पश्चात् यह मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया था और मजिस्ट्रेट को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट 8.00 बजे अपराह्न में प्राप्त हुई थी । अभियुक्तों की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह दलील दी कि पक्षकारों के बीच दुश्मनी थी और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण में विलंब से और न्यायालय में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्राप्त

होने में हुए विलंब से यह गंभीर संदेह उत्पन्न होता है कि अभियुक्तों को मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया था । निस्संदेह, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण और न्यायालय में इसके प्राप्त होने में विलंब हुआ है । ऐसे मामले हो सकते हैं जहां प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए विलंब से मिथ्या फंसाने के बारे में संदेह उत्पन्न होता है ; किंतु जब विलंब को समाधानप्रद रूप में स्पष्ट कर दिया जाता है, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण या इसके न्यायालय में प्राप्त होने में हुए विलंब से अभियोजन के पक्षकथन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा । अभि. सा. 6 और अभि. सा. 5 का पति और मृतक का पिता घर से दूर गया हुआ था और स्वाभाविक तौर पर अभि. सा. 5 और उसके पुत्र अभि. सा. 7 को घटना के बारे में शिकायत दर्ज करने में कुछ समय लगा होगा । अपने पुत्र की मृत्यु को देखकर अभि. सा. 5 के मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव को आंका नहीं जा सकता है । अपने पुत्र की मृत्यु के कारण शोक संतप्त होने के कारण अभि. सा. 5 और अभि. सा. 7 को शिकायत दर्ज कराने में कुछ समय लग सकता था ।

22. अपराध सं. 44/2002 में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट 1.15 बजे अपराह्न में रजिस्ट्रीकृत की गई थी और मजिस्ट्रेट को यह रिपोर्ट लगभग छह घंटे के पश्चात् 8.00 बजे अपराह्न में प्राप्त हुई थी । निस्संदेह, न्यायालय में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्राप्त होने में कुछ विलंब हुआ है । अभि. सा. 10-कांस्टेबल कल्याणम्मा, जो उस समय सैदापुर पुलिस थाने से संबद्ध था, ने यह कथन किया कि सैदापुर और यादगीर के बीच की दूरी 40 कि. मी. है । अभि. सा. 10-कांस्टेबल ने यह कथन किया कि सुसंगत समय पर सैदापुर से यादगीर के लिए कोई रेलगाड़ी नहीं थी । अभि. सा. 10-कांस्टेबल ने यह भी कथन किया कि यद्यपि यादगीर के लिए आठ बसें चलती हैं, किंतु सुसंगत समय पर उसे शीघ्र यादगीर पहुंचने में समर्थ बनाने के लिए कोई बस नहीं थी । हमारे मत में, न्यायालय में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्राप्त होने में कोई अत्यधिक विलंब नहीं हुआ था । विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के इन निष्कर्षों में कि शिकायत दर्ज कराने और न्यायालय में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्राप्त होने में विलंब को उचित रूप से स्पष्ट किया गया है, कोई

खामी नहीं है और हम एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं पाते हैं ।

23. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अभियुक्त सं. 1 के प्रकटन कथन के आधार पर तात्विक वस्तु-छुरा, जो अभियुक्त सं. 1 के मकान के पीछे पशुशाला के उपरिकोष्ठ में चारे के ढेर में छिपाया हुआ था, पंच साक्षियों अभि. सा. 8-चंद्रप्पा और अभि. सा. 9-महादेवप्पा नीडगेरा की मौजूदगी में प्रदर्श पी-9-पंचनामा के अधीन अभिगृहीत किया गया था । उक्त पंच साक्षियों ने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया और पक्षद्रोही हो गए । तात्विक वस्तु-2 छुरा और तात्विक वस्तु-3 कुल्हाड़ी का हत्था प्रदर्श पी-7 घटनास्थल पंचनामा के अधीन घटनास्थल से बरामद किए गए थे । अभियुक्तों की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह दलील दी कि अभियुक्त सं. 1 के बताने पर तात्विक वस्तु-1 छुरे की बरामदगी के बारे में अभि. सा. 17-पुलिस उप निरीक्षक का साक्ष्य संदेहास्पद है और जब अभि. सा. 8 और 9 पक्षद्रोही हो गए हैं, तब तात्विक वस्तु-1 छुरे की अभिकथित बरामदगी को कोई महत्व नहीं दिया जा सकता था । इस दलील में कोई सार नहीं है कि केवल पंच साक्षियों के पक्षद्रोही होने के कारण आयुध की बरामदगी दूषित हो जाती है । यह भलीभांति सुस्थिर है कि अन्वेषक अधिकारी के साक्ष्य का तब भी बरामदगी साबित करने के लिए अवलंब लिया जा सकता है जब पंच साक्षी पक्षद्रोही हो गए हों । **रमेशभाई मोहनभाई कोली** बनाम **गुजरात राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था :–

> "33. मदन सिंह **बनाम** राजस्थान राज्य [(1978) 4 एस. सी. सी. 435] वाले मामले में यह मत व्यक्त किया था कि जहां अन्वेषक अधिकारी, जिसने तात्विक वस्तुएं बरामद की थीं, का बरामदगी के बारे में साक्ष्य भरोसेलायक है तो उसे इस आधार पर नामंजूर किए जाने की आवश्यकता नहीं है कि अभिग्रहण के साक्षियों ने अभियोजन के वृत्तांत का समर्थन नहीं किया है ।

---

[1] (2011) 11 एस. सी. सी. 111.

मोहम्मद असलम **बनाम** महाराष्ट्र राज्य [(2001) 9 एस. सी. सी. 362] वाले मामले में इसी प्रकार का मत व्यक्त किया गया था ।

34. अंतेर सिंह **बनाम** राजस्थान राज्य [(2004) 10 एस. सी. सी. 657] वाले मामले में यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि –

> "10. ..... यदि पंच साक्षी पक्षद्रोही हो गए हैं, जैसा कि दांडिक मामलों में प्राय: होता रहता है, उस व्यक्ति का साक्ष्य दूषित नहीं हो जाएगा जिसने बरामदगी की थी ।"

35. इस न्यायालय ने अनेक मामलों में यह अभिनिर्धारित किया है कि केवल इस कारण कि पंच साक्षी पक्षद्रोही हो गए हैं, साक्ष्य को नामंजूर करने का आधार नहीं है चाहे साक्ष्य अकेले अन्वेषक अधिकारी के परिसाक्ष्य पर ही आधारित हो । प्रस्तुत मामले में, प्रतिरक्षा पक्ष का यह पक्षकथन नहीं है कि अन्वेषक अधिकारी का परिसाक्ष्य किसी खामी या संदेह से ग्रस्त है (मदन सिंह वाला मामला, कृष्ण गोपाल वाला मामला और अंतेर सिंह वाला मामला देखें)" ।

अभि. सा. 17-पुलिस उप निरीक्षक ने अभियुक्त सं. 1 के बताने पर तात्विक वस्तु-1 छुरे की बरामदगी और घटनास्थल से तात्विक वस्तु-2 छुरे और तात्विक वस्तु-3 कुल्हाड़ी के हत्थे की बरामदगी के बारे में स्पष्ट रूप से कथन किया है और उसके साक्ष्य को केवल इस कारण त्यक्त नहीं किया जा सकता है कि पंच साक्षी पक्षद्रोही हो गए थे ।

24. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह दलील दी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामले में अन्वेषण करने के लिए केवल सर्किल पुलिस निरीक्षक प्राधिकृत है और अभि. सा. 17-पुलिस उप निरीक्षक को अन्वेषण करने के लिए कोई प्राधिकार नहीं है तथा अभियोजन का पक्षकथन अभि. सा. 17-पुलिस उप निरीक्षक द्वारा किए गए अन्वेषण के कारण दूषित हो जाता है जिसे अन्वेषण करने का कोई प्राधिकार नहीं था । यदि सर्किल निरीक्षक पुलिस थाने में मौजूद नहीं था या अन्य ड्यूटी पर था, तो पुलिस उप निरीक्षक पुलिस थाने का भारसाधक था और उसे आंरभिक अन्वेषण करने के लिए

कार्यवाही करने की शक्ति थी । अभि. सा. 17-पुलिस उप निरीक्षक ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि सर्किल निरीक्षक की अनुपस्थिति में उसे रजिस्ट्रीकृत मामलों का, जिनमें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामला भी है अन्वेषण करने की शक्ति है । जब कोई गंभीर अपराध का मामला रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, तो पुलिस उप निरीक्षक, जो पुलिस थाने का भारसाधक है, सर्किल निरीक्षक के पहुंचने की प्रतीक्षा या अन्वेषण आरंभ करने का अनुदेश देने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता है ।

25. अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 5 और अभि. सा. 7 के साक्ष्य से अभियुक्त सं. 1 और 2 के स्पष्ट कृत्य को साबित किया है और इसकी संपुष्टि उनके कृत्यों के कारण पहुंची क्षतियों से, जैसा कि अभि. सा. 12-डाक्टर एच. आर. कुमार द्वारा कथन किया गया है, होती है । यह उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त सं. 4 उस समय बालीचक्र में अध्यापक के रूप में कार्यरत था और उसने कथित रूप से मृतक की पीठ पर कुल्हाड़ी के लकड़ी के हत्थे (तात्विक वस्तु-3) से हमला किया था । मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श पी-11) का परिशीलन करने पर, अभियुक्त सं. 4 के अभिकथित स्पष्ट कृत्य की तत्संबंधी कोई क्षति नहीं है । जैसा कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से दर्शित होता है, शिकायत में अभि. सा. 5 ने यह कहा है कि इस अभियुक्त ने हमला करने के समय यह कहा था कि "इस जार के हमारी माता के साथ अयुक्त संबंध हैं ।" प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लिखित उपरोक्त शब्दों से प्रथमदृष्ट्या केवल अभियुक्त सं. 1 और 2 तथा भगौड़े अभियुक्त सं. 3 की मौजूदगी उपदर्शित होती है जिन्होंने मृतक पर हमला किया था । अभियुक्त सं. 4 की मौजूदगी के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न होता है और अभियुक्त सं. 4 को संदेह का फायदा दिया जाना चाहिए और अभियुक्त सं. 4 की दोषसिद्धि को संधार्य नहीं रखा जा सकता है । अभियुक्त सं. 1-मल्लिकार्जुन और अभियुक्त सं. 2-रवि की दोषसिद्धि साक्ष्य के उचित मूल्यांकन पर आधारित है और विवेचन पूरी तरह संतुलित है और हम उनकी दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं ।

26. परिणामतः, अभियुक्त सं. 1-मल्लिकार्जुन और अभियुक्त सं. 2-रवि की भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 और भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 448 के अधीन दोषसिद्धि और उन पर अधिरोपित कारावास के दंडादेश की अभिपुष्टि की जाती है और अभियुक्त सं. 1 और 2 के संबंध में यह अपील खारिज की जाती है । अभियुक्त सं. 4 की दोषसिद्धि अपास्त की जाती है और उसके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से उसे दोषमुक्त किया जाता है । तद्नुसार, यह अपील भागतः मंजूर की जाती है ।

अपील भागतः मंजूर की गई ।

जस.

[2020] 1 उम. नि. प. 115

शाही एंड एसोसिएट्स (मैसर्स)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

[2010 की सिविल अपील सं. 3559]

8 अगस्त, 2019

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) – धारा 31(7)(ख) और 85 [सपठित माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 (1940 का 10) की अनुसूची 1 और उत्तर प्रदेश सिविल विधि (सुधार और संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 24, पैरा 7क] – माध्यस्थम् पंचाट – ब्याज घटाए जाने को चुनौती – जब माध्यस्थम् कार्यवाहियां स्वीकृततः 1996 के माध्यस्थम् अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् प्रारंभ हुई हों और उनका संचालन उस अधिनियम के अनुसार हुआ हो तब उन कार्यवाहियों को 1940 के